संख्या–9/2018/1344/46-2-2018-34/2018

प्रेषक,

संजय आर भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक,
सहकारी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 18 जून, 2018

विषयः– सहकारी चीनी मिल समितियों एवं सहकारी चीनी मिलों की कार्यकुशलता एवं वित्तीय अनुशासन में सुधार के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश की चीनी मिलों के कार्यो की समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में चीनी परता कम होने के कारण प्रदेश का औसत चीनी परता एवं चीनी उत्पादन प्रभावित हुआ है, साथ ही सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सहकारी चीनी मिल क्षेत्र में विकास कार्यो पर अधिक ध्यान दिये जाने तथा चीनी मिल की कार्यकुशलता में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश की सहकारी चीनी मिल समितियों एवं चीनी मिलों की कार्यकुशलता में वृद्धि, वित्तीय अनुशासन को बेहतर करने तथा किसानों के हित में और उपयोगी बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

1- प्रायः सभी सहकारी चीनी मिलों का औसत चीनी परता, उसके समीपवर्ती निजी चीनी मिलों की तुलना में काफी कम आ रहा है, जिसका एक मुख्य कारण चीनी मिल क्षेत्र में प्रजातीय संतुलन का न होना तथा अस्वीकृत प्रजातियों के गन्ना क्षेत्रफल का अधिक होना भी है, ऐसी स्थिति में सहकारी चीनी मिलों के क्षेत्र में विकास कार्यो पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। अतः सहकारी चीनी मिल समितियों को विकास कमीशन के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को, एक अलग बैंक खाता खोलकर उसमें जमा किया जाय। इस धनराशि के अधिकतम 40 प्रतिशत भाग को समिति के प्रबन्ध व्यय और गन्ना विपणन कार्यो में व्यय किया जाय। शेष 60 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग विकास कार्यो, यथा– कृषकों को उत्तम गुणवत्ता के गन्ना बीज उर्वरक, दवाइयां, कृषि यन्त्र आदि उपलब्ध कराने में व्यय किया जाय। चीनी मिलों की बैलेंस शीट में समितियों के आय–व्यय का अलग से विवरण प्रस्तुत किया जाय।

यह संज्ञान में आया है कि, चीनी मिल बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से नही हो रही है। सहकारी चीनी मिल की उपविधियों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार बोर्ड की नियमित बैठक सुनिशिचत कराई जाय तथा इन बैठकों में समिति कमीशन मद से किये जाने वाले गन्ना विकास कार्यो पर भी अनिवार्य रूप से चर्चा की जाये।

2- शासन द्वारा जारी वार्षिक स्थानान्तरण नीति के तहत ही सहकारी चीनी मिलों में एवं मिल समितियों में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक/सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण किये जाय तथा एक ही पटल पर लम्बे समय से कार्यरत कार्यालय कार्मिकों का पटल भी परिवर्तित किया जाय।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- सहकारी चीनी मिल के प्रबन्धक एवं अन्य सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का व्यवहार किसानों के साथ विनम्र एवं सहयोगपूर्ण होना चाहिए। किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजय आर भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–9/2018/1344(1)/46-2-2018 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- आयुक्त एवं निबंधक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिलें।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि. लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र की प्रति समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेशको अपने स्तर से भेजना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।